



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब० / 696... / 2023 दिनांक: 05.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालय,

डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

मा० कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2022 में महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने तथा शिक्षकों के चयन में योग्यतम शिक्षकों का चयन करने हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

- मा० कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2022 से पूर्व के स्थायी सम्बद्धता हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किये गये निरीक्षण रिपोर्ट/आख्या को मा० कार्यपरिषद् द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसकी सूचना पत्र संख्या सम्ब० / 2697 / 2023 दिनांक 31.01.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी।

बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे महाविद्यालय जिन्हें स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं है को मा० कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार (सत्र 2024-25) अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु नियमानुसार निरीक्षण मण्डल गठन हेतु आवेदन करेंगे, जिससे विश्वविद्यालय समयान्तर्गत निरीक्षण गठन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर सके। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्ब० 1667 / 22 दिनांक 20.07.2022 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता फीस रू० 25,000 / - + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त एवं निरीक्षण गठन फीस रू० 10,000 / - अनिवार्य रूप से जमा करते हुये प्रमाणित रसीद पत्रावली में संलग्न करेंगे। निर्धारित समय-सारिणी निम्नवत् है:-

क्र.सं.	कार्यवाही	निर्धारित समय-सारिणी
1	निरीक्षण मण्डल गठन हेतु पत्रावली जमा करने की अन्तिम तिथि	30 जनवरी, 2024 तक
2	निरीक्षण मण्डल का गठन	15 फरवरी, 2024 तक
3	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना	15 अप्रैल, 2023 तक
4	निरीक्षण मण्डल के सदस्य-सचिव द्वारा 2 प्रति में आख्या को विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना	18 अप्रैल, 2023 तक
5	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	28 अप्रैल, 2023 तक

नोट:- निर्धारित समय-सारिणी के उपरान्त कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

- शिक्षक चयन के रिक्त पद पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना चाहिये जिससे योग्यतम शिक्षकों का चयन किया जा सके तथा एक शिक्षक पद के सापेक्ष तीन अभ्यर्थी उचित रहेगा। एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन-2014 के अनुसार शिक्षक अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अधीक्षक-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
- समस्त पटल प्रभारी, सम्बद्धन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निरीक्षण गठन हेतु प्राप्त पत्रावली का परीक्षण कर आख्या सहित मूल पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फाईल।

कुलसचिव